पत्रांक   /आयु0करउत्तरा0 /IT Section/2015–16/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई0टी0–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक: 01 मार्च, 2016

// परिपत्र //

(ऑनलाईन जनरेटेड फार्म–11 में संशोधन करने संबधी)

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि ऑनलाईन रूप से जनरेट किये गये फार्म–11 में कुछ लिपिकीय त्रुटियां रह जाने के कारण संबंधित विक्रेता व्यापारियो द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रपत्रो को स्वीकार नही किया जा रहा है और इस कारण विक्रेता व्यापारी को रियायती दर से कर का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, जब तक ऑनलाईन फार्म–11 में हुई लिपिकीय त्रुटियों के संशोधन हेतु कोई software/utility विकसित नहीं कर ली जाती है, तब तक, कर निर्धारण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले ऐसे व्यौहारियों, जिनके द्वारा, अनुलग्नक– 17(XI) में त्रुटिपूर्ण डाटा अपलोड कर दिये जाने के कारण, कोई त्रुटिपूर्ण फार्म–11 ऑनलाईन रूप से जनरेट कर लिया गया है, से संबंधित फार्म–11, व्यापारी के लिखित अनुरोध पर मैनुअली रूप से करेक्ट एवं सत्यापित करते हुए निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत क्रेता व्यापारी को उपलब्ध करायेंगे –

1. क्रेता व्यापारी द्वारा, ऑनलाईन रूप से जनरेटेड फार्म–11 की तीनों प्रतियों के साथ, वांछित संशोधन को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप से आवेदन किया जायेगा तथा प्रस्तावित संशोधन के साक्ष्य स्वरूप ऐसे बिल अथवा अन्य प्रपत्रों की मूल प्रति व अन्य प्रपत्र, जिनकी मांग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की जाये, प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल प्रपत्रों की जांच से संतुष्ट होने तथा संबंधित अवधि की विवरणी से मिलान के पश्चात् फार्म–11 में अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों यथा– व्यापारी का नाम, पता, बिल संख्या, दिनांक, वस्तु का नाम, विक्रेता व्यापारी का टिन को मैनुअली रूप से तीनों प्रतियों में संशोधित कर दिया जायेगा। किन्तु इस प्रकार के संशोधनों में फार्म की कुल वैल्यू अथवा बिलों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संशोधन के उपरान्त फार्म की तीनों प्रतियों के उपरी भाग में '' यह फार्म संशोधित किया गया है'' की टिप्पणी अंकित करते हुए, अपने नाम व पदनाम की मुहर के साथ हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे। फार्म में जहां–जहां संशोधन किया गया है वहां पर "कटिंग अटेस्ट" लिखते हुए अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये जायेंगे।

3. संशोधन के उपरान्त संशोधित फार्म की एक प्रति व व्यापारी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत बिलों/प्रपत्रों की प्रति को पत्रावली में संरक्षित रखते हुए हस्ताक्षर युक्त दो प्रतियॉ व्यापारी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. ऑनलाईन फार्म–11 में संशोधन हेतु कोई यूटीलिटी/सॉफवेयर के लागू होने के दिनाक से यह परिपत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा किसी भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जनरेट किये गये फार्म–11 को मैनुअली रूप से संशोधित नही किया जायेगा।

5. ऐसे संशोधन हेतु व्यापारी से कोई धनराशि/शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

–2..........

Scanned by CamScanner

पृ0प0सं0 11 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3— अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।

4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।

5— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

6— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/रूद्रपुर/बाजपुर /खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/ बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7— श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर–1, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

8— आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर समस्त प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।

9— Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13— आर0 सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

10— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

11— अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

12— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।

13— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।

14— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 83–मोती बाजार देहरादून।

15— The whole sale dealers Association 14—आढ़त बाजार देहरादून।

16— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

17— कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

18— समस्त अनुभाग अधिकारी।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner